[2018] 2 एस. सी. आर. 250

मेसर्स माया एप्लिकेशन्स (पी) लिमिटेड अब प्रीति के रूप में जाना जाता है

रसोईघर आवेदन पी. वी. टी. लिमिटेड।

वी.

वाणिज्यिक करों और ओ. आर. एस. का <आई. डी. 1

(सिविल अपील सं। 357-367 2018 का)

फरवरी 06,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 - आर. 3 (2) (सी)-कुल कारोबार से व्यापार छूट की कटौती का दावा-अपीलार्थी का

यदि वह अपनी वितरकों को पिछली तिमाही के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर एक मात्रा में छूट प्रदान करता है-अपीलार्थी के अनुसार, छूट व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में दी जाती है और बिक्री पर विचार के लिए जो राशि प्राप्त होती है, वह केवल छूट के अलावा शुद्ध राशि है, जिस पर वैट एकत्र किया जाता है।

· अपीलार्थी ने कुल से कटौती के रूप में छूट का दावा किया

अधिनियम के तहत कर योग्य कारोबार पर पहुंचने के दौरान कारोबार-उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि छूट पिछली तिमाही के प्रदर्शन के संबंध में दी गई है न कि बिक्री लेनदेन के संबंध में जिसके लिए चालान उठाया गया है-अपील पर कहा गयाः आर पर रखे गए निर्माण को ध्यान में रखते हुए। 3 (2) सदर्न मोटर्स बनाम के मामले में नियमों का। कर्नाटक राज्य, उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है -

कर का भुगतान करने की देनदारी कर योग्य कारोबार पर है-कर योग्य कारोबार कुल कारोबार से अनुमेय कटौती करने के बाद किया जाता है-उनमें से "छूट के रूप में अनुमत सभी राशि" शामिल हैं।

हालाँकि, इस तरह की छूट विक्रेता की नियमित व्यापार प्रथा या किसी विशेष मामले में किए गए अनुबंध या समझौते के अनुसार होनी चाहिए-"इस तरह की छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में जारी कर चालान या बिक्री बिल" अभिव्यक्ति से पता चलता है कि

इस तरह की छूट के रूप में अनुमत राशि "खुशी से नहीं लिखी गई है" इस तरह की छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में "शब्दों का अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि छूट कटौती के रूप में तब तक अस्वीकार्य होगी जब तक कि मूल रूप से माल से संबंधित कर चालान न हो। जारी की गई छूट दिखाती है-यह सुनिश्चित करने की बात है-निर्धारिती को अपने खातों से यह स्थापित करना चाहिए कि छूट विशेष रूप से उस बिक्री से संबंधित है जिसके संदर्भ में इसकी अनुमति है -

परंतुक का पहला भाग, आर. 3 (2) (सी) व्यापार प्रथा या, जैसा भी मामला हो, व्यापारी के अनुबंध या समझौते को मान्यता देता है -

बाद वाला भाग जो निर्धारण के लिए एक कार्यप्रणाली प्रदान करता है, पहले वाले भाग को ओवरराइड नहीं करता है-दोनों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए सबसे ऊपर, यह याद रखना चाहिए कि कर योग्य कारोबार कटौती का शुद्ध कारोबार है-सभी व्यापार छूट अनुमेय कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं-तदनुसार, अपीलकर्ता व्यापार छूट की कटौती का हकदार है-कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 एस। 2 (35) और 3.

अपीलार्थी घरेलू उपकरणों का निर्माण करता है। के अनुसार

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के तहत कर योग्य कारोबार पर पहुंचने के दौरान कारोबार। निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दी गई राशि में छूट नहीं दी जा सकती है कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 3 (2) (सी) के तहत अनुमति दी जाएगी। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने आदेश को रद्द कर दिया।

हालांकि, एस के तहत। 64 (1) अधिनियम के अनुसार, अतिरिक्त आयुक्त ने प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा दी गई तिमाही छूट पिछली तिमाही के प्रदर्शन के संबंध में थी, न कि उन्हीं चालानों के तहत दी गई बिक्री के संबंध में। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए, वर्तमान अपीलें।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. 'कारोबार' और 'कर योग्य' की परिभाषाएँ

इसका अर्थ है कुल राशि जिसके लिए माल बेचा जाता है, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है या अन्यथा निपटाया जाता है। कर योग्य कारोबार है गणना कुल कारोबार से ऐसी कटौती करने के बाद और ऐसी तरीके से की जाती है जो निर्धारित की जाए ('कुल कारोबार' को धारा 2 (35) द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है राज्यों में व्यवसाय के सभी स्थानों पर एक व्यापारी के सभी सामानों में कुल कारोबार)। कर योग्य कारोबार पर पहुंचने के लिए, कानून में कुल कारोबार से निर्धारित कटौती करने पर विचार किया गया है। कर का भुगतान करने की देनदारी कर योग्य कारोबार पर है। कर योग्य कारोबार वह शुद्ध राशि है जो कारोबार से निर्धारित कटौती करने पर बची रहती है। [पैरा 8] [257-बी-डी] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

18] 2 एस सी आर।

2. कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 3 में कारोबार के निर्धारण का प्रावधान है। नियम 3 के खंड (1) में एक व्यापारी के कुल कारोबार के निर्धारण का प्रावधान है। खंड (2) कर योग्य कारोबार के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है। कुल कारोबार से खंड (2) में निर्धारित कटौती करके कर योग्य कारोबार किया जाता है। [पैरा 9] [257 डी-ई] 3. सदर्न मोटर्स बनाम के मामले में। कर्नाटक राज्य, आर के प्रावधान। 3 (2) ((ग) विचार किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसलों पर भरोसा करते हुए, यह माना गया था कि एक व्यापार

छूट की अनुमति केवल इस आधार पर नहीं दी जानी चाहिए कि यह प्रत्येक चालान के समय देय नहीं है या चालान मूल्य से कटौती नहीं की गई है। सदर्न मोटर्स मामले में नियमों के नियम 3 (2) (सी) के प्रावधानों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय तदनुसार है।

अस्थिर। [पैरा 10,11] [257-जी-एच; 258-ए; 259-जी-एच]

4. कर का भुगतान करने की देनदारी कर योग्य कारोबार पर है। कर योग्य

कुल कारोबार से अनुमेय कटौती करने के बाद कारोबार किया जाता है। इनमें "छूट के रूप में अनुमत सभी राशि" शामिल हैं। हालाँकि, इस तरह की छूट विक्रेता की नियमित व्यापार प्रथा या किसी विशेष मामले में किए गए अनुबंध या समझौते के अनुसार होनी चाहिए। इस प्रकार से संबंधित बिक्री के संबंध में जारी किया गया कर चालान या बिक्री का बिल छूट इस तरह की छूट के रूप में अनुमत राशि को दर्शाती है जिसे खुशी से नहीं कहा जाता है। शब्द "इस तरह से संबंधित बिक्री के संबंध में"

छूट का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि छूट कटौती के रूप में अस्वीकार्य होगी जब तक कि मूल रूप से जारी किए गए सामान से संबंधित कर चालान छूट नहीं दिखाता है। यह तय करने की बात है। निर्धारिती को अपने खातों से यह स्थापित करना चाहिए कि छूट विशेष रूप से उस बिक्री से संबंधित है जिसके संदर्भ में इसकी अनुमति है। परंतुक के पहले भाग में, नियम 3 (2) (सी)

व्यापार प्रथा या, जैसा भी मामला हो, व्यापारी के अनुबंध या समझौते को मान्यता देता है। बाद वाला भाग जो एक प्रदान करता है निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली पहले वाले भाग को ओवरराइड नहीं करती है। दोनों को एक साथ समझना होगा। सबसे बढ़कर, यह होना चाहिए

याद रखें कि कर योग्य कारोबार कटौती का शुद्ध कारोबार है। सभी व्यापार छूट अनुमेय कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं।

[पैरा 12] [260-ए-डी] माया आवेदन (पी) लिमिटेड v. वाणिज्यिक करों का ADDL.COMMISSIONER

भारत संघ बनाम। बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड (2005)

3 एस. सी. सी. 787; भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड (1995) 4 एस. सी. सी. 349: [1995] 3 एससीआर 1143 -

संदर्भित किया गया।

सदर्न मोटर्स वी। कर्नाटक राज्य (2017) 3 एससीसी

467 पर भरोसा किया। -

मामला कानून संदर्भ

(2005) 3 एस. सी. सी. 787

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[1995] 3 एससीआर 1143

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

(2017) 3 एस. सी. सी. 467

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 357

367 2018 से।

उच्च न्यायालय के 19.03.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 के एस. टी. ए. सं. 120 और एस. टी. ए. सं. में बैंगलोर में कर्नाटक सरकार द्वारा। 1-10 2013 से।

के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

देवदत्त कामत, एएजी, वी. एन. रघुपति, आदित्य भट, राजेश

इनामदार, परीक्षित पी. अंगड़ी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. 1. अपीलार्थी उत्पादन करता है

घरेलू उपकरण जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, वेट ग्राइंडर और गैस स्टोव। अपीलार्थी के अनुसार, एक नियमित व्यापार प्रथा के आधार पर, यह अपने वितरकों को छूट की अनुमति देता है। ये छूट एक योजना छूट या, जैसा भी मामला हो, एक मात्रा छूट का रूप ले सकती हैं। अपीलार्थी पहुँचते समय कुल कारोबार से कटौती के रूप में छूट का दावा करता है। कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2003 ('अधिनियम') के तहत कर योग्य कारोबार पर।

2. 29 मई 2010 को, वाणिज्यिक उपायुक्त

कर, बेंगलुरु ने अपीलकर्ता द्वारा अपने वितरकों को दी गई छूट की मात्रा को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि छूट नहीं दी गई थी संबंधित कर चालानों द्वारा की गई बिक्री से संबंधित। निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी द्वारा दी गई छूट की मात्रा न्यायालय की रिपोर्टों पर हावी हो सकती है

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम 2005 ('नियम') के नियम 3 (2) (सी) के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी। विचाराधीन अवधि 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007,1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2008 और 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2008 थी।

3. अपील पर, वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त (अपील-1), बेंगलुरु ने निर्धारण प्राधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि अपीलार्थी द्वारा दी गई तिमाही योजना छूट एक स्वीकार्य कटौती थी क्योंकि अपीलार्थी को छूट की राशि काटने के बाद माल की बिक्री के लिए खरीदार से प्रतिफल का एहसास हुआ था और छूट का लाभ देने के बाद कर चालान में दिखाई गई शुद्ध राशि पर ही वैट लगाया गया था। 4. 12 अक्टूबर 2010 के पहले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अधिनियम की धारा 64 (1) के तहत इस आधार पर संशोधित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा दी गई तिमाही छूट पिछली तिमाही के प्रदर्शन के संबंध में थी न कि उसी चालान के तहत दी गई बिक्री के संबंध में।

5. अपीलार्थी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष बिक्री कर अपील की स्थापना की। 19 मार्च 2014 के एक फैसले द्वारा, कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया। 6. अपीलार्थी का मामला यह है कि वह अपनी वितरकों को पिछली तिमाही के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर एक मात्रा में छूट प्रदान करता है। यह एक विपणन/बिक्री रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अपीलकर्ता निम्नलिखित के आधार पर अपने विक्रेताओं को तिमाही छूट के रूप में एक निश्चित प्रतिशत की अनुमति देता हैः

वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक विक्रेता द्वारा उत्पन्न बिक्री कारोबार। छूट अपीलार्थी द्वारा अपने विक्रेताओं को बाद की तिमाही में जुटाई गई बिक्री चालान में दी जाती है। छूट की राशि सकल बिक्री मूल्य से काट ली जाती है और वैट एकत्र किया जाता है और शुद्ध बिक्री मूल्य पर प्रेषित किया जाता है। अपीलार्थी के अनुसार, छूट व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में दी जाती है और बिक्री पर विचार के लिए उसे जो राशि मिलती है, वह छूट को छोड़कर केवल शुद्ध राशि है, जिस पर वैट एकत्र किया जाता है। प्राप्त/प्राप्य बिक्री पर बिक्री कर लगाया जाता है। धारा 2 (36) 'कारोबार' शब्द को उस कुल राशि के रूप में परिभाषित करती है जिसके लिए माल बेचा जाता है और 'कुल' शब्द का अर्थ है वह शुद्ध राशि जिसके लिए माल बेचा जाता है। अपीलार्थी का दावा है कि अपने विक्रेताओं के तिमाही प्रदर्शन के आधार पर छूट की अनुमति देना केवल छूट की गणना के लिए उसके द्वारा अपनाया गया एक उपाय है। हालांकि, छूट बिक्री बिल में दी जाती है और वैट लिया जाता है माया आवेदन (पी) लिमिटेड v.

केवल इसलिए अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि वे प्रत्येक चालान के समय देय नहीं हैं या चालान मूल्य (भारत संघ बनाम बॉम्बे टायर इंटरनेशनल लिमिटेड 1) से कटौती नहीं की गई है। इसके अलावा, अर्धवार्षिक छूट जैसी आवधिक छूट, उनके स्वभाव से, प्रत्येक चालान के चेहरे पर नहीं दिखाई जा सकती है क्योंकि छूट केवल संबंधित अवधि के अंत में ही ज्ञात होती है। चूंकि छूट को माल को हटाने के समय जाना और समझा जाता है, हालांकि बाद में इसकी मात्रा निर्धारित की गई थी, इसलिए इसे भारत सरकार बनाम मद्रास रबर फैक्ट्री लिमिटेड 2 में कटौती के लिए पात्र माना गया था। कुल मिलाकर, अपीलार्थी का मामला यह है कि उसके द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य छूट को छोड़कर शुद्ध राशि है। यह समझ में आता है बिक्री के समय ही कि ग्राहक छूट का हकदार होगा, तिमाही के अंत में गणना की जाने वाली मात्रा। अतः, माल के साथ भाग लेने के लिए अपीलार्थी द्वारा लिया गया वास्तविक बिक्री मूल्य छूट के अलावा शुद्ध राशि है और इसलिए अपीलार्थी द्वारा दी गई व्यापार छूट बिक्री कारोबार का हिस्सा नहीं हो सकती है। अंत में, यह आग्रह किया गया है कि नियम 3 (2) (सी) का शाब्दिक निर्माण इसे अव्यवहारिक और व्यावहारिक रूप से असंभव बना देगा।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि नियम 3 (2) (सी) के तहत एक राशि जिसे छूट के रूप में अनुमति दी गई है।

कर योग्य कारोबार की गणना में कटौती के रूप में केवल तभी अनुमति है जब ऐसी छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में जारी कर चालान छूट के रूप में अनुमत राशि दिखाता है। कर योग्य घटना बिक्री है और बिक्री मूल्य विक्रेता से खरीदार को बिक्री के समय जारी किए गए कर चालान या बिक्री बिल के आधार पर निर्धारित किया जाना है। कर चालान या बिक्री बिल जारी करने की तारीख के बाद बिक्री मूल्य में बदलाव या संशोधन नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं के अनुसार, नियम 3 (2) (सी) यह अनिवार्य बनाता है कि केवल बिक्री चालान में परिलक्षित छूट कटौती के लिए पात्र है। मान लीजिए, छूट में दिखाया गया है

1 (2005) 3 एस. सी. सी. 787

2 (1995) 4 एससीसी 349 [2018] 2 एस. सी. आर.

अपीलार्थी के चालान बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि चालान की तारीख से पहले तीन से छह महीने की पिछली अवधि के प्रदर्शन के लिए थे। उत्तरदाताओं को प्रस्तुत करने में, धारा 3, प्रभार अनुभाग का सामंजस्यपूर्ण अध्ययन, धारा 2 (34) में 'कर योग्य कारोबार' की परिभाषा के साथ, धारा 2 (35) में 'कुल कारोबार' और नियम 3 (2) (सी) के साथ पठित धारा 2 (36) में 'कारोबार' से पता चलेगा कि एक निश्चित अवधि के लिए विक्रेता के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद बहुत बाद की तारीख में जारी की गई प्रदर्शन-आधारित छूट योग्य छूट के दायरे में नहीं आएगी। नियम 3 (2) (सी) के तहत कर योग्य कारोबार तक पहुंचने के लिए, छूट को कर चालान या बिक्री बिल में बिक्री के संबंध में दिखाया जाना चाहिए।

8. अधिनियम की धारा 3 में कर लगाने का प्रावधान है। इसमें प्रावधान किया गया है कि राज्य में वस्तुओं की प्रत्येक बिक्री पर कर लगाया जाएगा -

पंजीकृत विक्रेता या अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी विक्रेता। ऐसा प्रत्येक विक्रेता धारा 4 के तहत अपने कर योग्य कारोबार पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। धारा 2 (36) में 'कारोबार' अभिव्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः

" 2 (36) . " 'परिवर्त्तन' से वह कुल राशि अभिप्रेत है जिसके लिए किसी व्यापारी द्वारा खंड (29) में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से माल बेचा या वितरित किया जाता है या वितरित किया जाता है या अन्यथा निपटाया जाता है, या तो सीधे या किसी अन्य के माध्यम से, अपने खाते में या दूसरों के खाते में, चाहे वह नकद के लिए हो या आस्थगित भुगतान के लिए या अन्य मूल्यवान के लिए। प्रतिफल, और इसमें वह कुल राशि शामिल है जिसके लिए अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं व्यक्ति से माल खरीदा जाता है और

राज्य के बाहर अंतरित या प्रेषित माल का मूल्य

बिक्री के माध्यम से और ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जिनके लिए माल बेचा जाता है, उस राशि में डिलीवरी के समय या उससे पहले बेचे गए माल के संबंध में विक्रेता द्वारा की गई किसी भी चीज़ के लिए ली गई कोई भी राशि शामिल होगी।

वहाँ से।

व्याख्याः अंतरित माल का मूल्य या

बिक्री के अलावा राज्य के बाहर भेजी जाने वाली राशि वह राशि होगी जिसके लिए माल सामान्य रूप से विक्रेता द्वारा बेचा जाता है या ऐसी वस्तुओं का प्रचलित बाजार मूल्य जहां विक्रेता

आम तौर पर माल नहीं बेचता है। धारा 2 (34) में 'कर योग्य कारोबार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है -

निम्नलिखित हैः

माया आवेदन (पी) लिमिटेड v. वाणिज्यिक करों का ADDL.COMMISSIONER [डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड, जे.]

" 2 (34) ' 'कर योग्य कारोबार' से वह कारोबार अभिप्रेत है जिस पर एक व्यापारी अपने कुल कारोबार से ऐसी कटौती करने के बाद और निर्धारित तरीके से कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन इसमें पाठ्यक्रम में खरीद या बिक्री का कारोबार शामिल नहीं होगा।

अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य का या भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर माल के निर्यात के क्रम में या भारत के राज्यक्षेत्र में माल के आयात के क्रम में और राज्य के बाहर अंतरित या भेजे गए माल का मूल्य, बिक्री के माध्यम से नहीं।

उपरोक्त परिभाषाओं से संकेत मिलता है कि कारोबार को उस कुल राशि से परिभाषित किया जाता है जिसके लिए माल बेचा जाता है, वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है या वितरित किया जाता है।

अन्यथा निकाल दिया जाता है। कर योग्य कारोबार की गणना कुल कारोबार से ऐसी कटौती करने के बाद और इस तरह से की जाती है जो निर्धारित की जाए ('कुल कारोबार' को धारा 2 (35) द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है व्यापार के सभी स्थानों पर एक व्यापारी के सभी सामानों में कुल कारोबार।

राज्य)। कर योग्य कारोबार पर पहुंचने के लिए, कानून में कुल कारोबार से निर्धारित कटौती करने पर विचार किया गया है। कर का भुगतान करने की देनदारी कर योग्य कारोबार पर है। कर योग्य कारोबार शुद्ध है।

से निर्धारित कटौती करने पर बची हुई राशि

टर्नओवर।

9. नियमों के नियम 3 में कारोबार के निर्धारण का प्रावधान है। नियम 3 के खंड (1) में एक व्यापारी के कुल कारोबार के निर्धारण का प्रावधान है। खंड (2) कर योग्य कारोबार के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है। कुल कारोबार से खंड (2) में निर्धारित कटौती करके कर योग्य कारोबार किया जाता है। नियम 3 (2) (सी) निम्नलिखित प्रावधान करता हैः

" (2) कर योग्य कारोबार को अनुमति देकर निर्धारित किया जाएगा

कुल कारोबार से निम्नलिखित कटौतीः
(ग) छूट के रूप में अनुमत सभी राशियाँः '

बशर्ते कि इस तरह की छूट की अनुमति विक्रेता की नियमित प्रथा के अनुसार दी जाती है या किसी विशेष मामले में किए गए किसी अनुबंध या समझौते की शर्तों के अनुसार है और ऐसी छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में जारी कर चालान या बिक्री का बिल अनुमत राशि को दर्शाता है

छूटः . "

10. सदर्न मोटर्स बनाम कर्नाटक राज्य में,

3 3 सूचना के माध्यम से सम्मिलित किया गया। नहीं। एफ. डी. 124 सी. एस. एल. 2006, डी. 27-5-2006 , डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2006। 4 (2017) 3 एससीसी 467 [2018] 2 एस. सी. आर.

इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों ने नियमों के नियम 3 (2) (सी) के प्रावधानों पर विचार किया। उस मामले में, अपीलार्थी जो मोटर वाहनों के व्यवसाय के साथ एक पंजीकृत विक्रेता था, ने इसके लिए कर चालान जारी किए।

खरीदार। बिक्री पूरी होने के बाद ग्राहकों को छूट देते हुए क्रेडिट नोट जारी किए गए। नतीजतन, अपीलार्थी ने चालान की केवल शुद्ध राशि अपने पास रखी, जो क्रेडिट नोटों में दिखाई देने वाली छूट से कम थी। मूल्यांकन के दौरान, अपीलार्थी को सुधार के आदेश दिए गए थे, जिसमें बिक्री के बाद की छूट की कटौती की अनुमति नहीं दी गई थी। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

" 28. यह आम अनुभव की बात है कि वर्तमान में

समकालीन प्रतिस्पर्धी बाजार, व्यापार छूट न केवल

परिवर्तनशील कारकों पर निर्भर लेकिन रणनीतिक रूप से भी नहीं हो सकता है

मूल बिक्री/खरीद के समय प्रकट करने योग्य ताकि जैसा भी मामला हो, कर चालान या बिक्री के बिल में समान रूप से परिलक्षित होता है।

हो सकता है। व्यापार छूट की वास्तविक मात्रा, इसके आधार पर

व्यापार की प्रकृति और किसी भी अनुबंध में संबंधित शर्तों पर

इसके संबंध में, एक होने तक स्थगित किया जा सकता है

सुविचारित घटना, इतना कि उसका लाभ

व्यवहार और दोनों के बीच किया गया अनुबंध/समझौता पक्षकार व्यापार छूट को अन्यथा कानूनी नहीं मानेंगे और

कर देयता से बचने के लिए स्वीकार्य, या तो गैर-अनुमानित या काल्पनिक। में।

उपरोक्त तथ्यात्मक आधार, व्याख्या जैसा कि चाहा गया है

कटौती की अनुमति देने के उद्देश्य को विफल कर देगा व्यापार छूट के कारण कुल कारोबार। (पृष्ठ पर आई. डी.

485)

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

व्यापार छूट को केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि यह प्रत्येक चालान के समय देय नहीं है या चालान मूल्य से नहीं काटा गया है। इस न्यायालय के दृष्टिकोण सेः

" 29 ..... प्रत्यक्षतः, यदि कर योग्य कारोबार में बिक्री शामिल होनी है /

क्रय मूल्य, यह किसी की समझ से परे है कि क्यों

व्यापार छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसके प्रमाण के अधीन,

केवल इसलिए कि यह मूल बिक्री YA एप्लीकेशन (P) लिमिटेड v के बाद प्रभावी हुआ था।

लेकिन समकालीन दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित और में प्रतिबिंबित

संबंधित खाते "। (पेज 485 पर आईडी)

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि विधायिका वाणिज्यिक वितरण में व्यापार छूट की पेशकश करने की प्रचलित प्रथा से अनजान नहीं होगी। न्यायालय का दृष्टिकोणः

" 38 ..... बिक्री के समय ही कटौती के लिए व्यापार छूट की मात्रा निर्धारित करने पर जोर देना, उसे कर चालान/बिक्री के बिल में शामिल करना, सभी के लिए असंभव की मांग करना होगा।

व्यावहारिक उद्देश्य और इस प्रकार अतार्किक, तर्कहीन और

बेतुका है। ” (पृष्ठ 492 पर आईडी) इस न्यायालय ने तदनुसार नियम 3 (2) (सी) के पहले परंतुक को पढ़ा।

■तैरने का ढंगः

" 40. अधिनियम और नियमों की योजना और अंतर्निहित उद्देश्यों की समग्र समीक्षा पर, विशेष रूप से धारा 29 और 30 की

अधिनियम और नियमों के नियम 3 के अनुसार, हम राय है कि में छूट के संदर्भ की आवश्यकता

कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कर चालान या बिक्री का बिल होना चाहिए अंतिम बिक्री/खरीद मूल्य के परिणामस्वरूप लेनदेन के संबंध में समझा जाता है और व्यापार छूट के बिना मूल बिक्री तक सीमित नहीं है। हालांकि, छूट की अनुमति देने वाले लेनदेन को समकालीन रिकॉर्ड और अंतिम के आधार पर साबित करना होगा।

व्यापार छूट में कटौती के बाद बिक्री मूल्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए

नियमों के नियम 3 (2) (सी) के तहत निर्धारित खातों में परिलक्षित होता है। बिक्री/खरीद मूल्य का निर्णय व्यापार छूट और भुगतान की गई वास्तविक कीमत को दर्शाने वाले खातों के साथ-साथ कर चालान या बिक्री के बिल, जैसा भी मामला हो, के संयुक्त विचार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार पहले परंतुक को विधायिका के सच्चे इरादे के अनुरूप होने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, पढ़ा जाना चाहिए।

और सही के घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

कर योग्य कारोबार का निर्धारण। विपरीत व्याख्या उच्च न्यायालय द्वारा तर्क की अवज्ञा में दिया गया और

इस प्रकार कानूनों की व्याख्या के स्थापित स्वयंसिद्ध सिद्धांत अस्वीकार्य हैं।

और नकार दिया जाता है। " (पृष्ठ 493 पर आईडी)

11. यह विचार दो विद्वान न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो हम में से एक (विद्वान मुख्य न्यायाधीश) थे। को ध्यान में रखते हुएदक्षिणी मोटर (ऊपर) में यूल्स के नियम 3 (2) (सी) के प्रावधानों पर रखा गया है, जो उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट का निर्णय है।

18] 2 एस सी आर।

वर्तमान मामले में तदनुसार अस्थिर है।

12. कर का भुगतान करने की देनदारी कर योग्य कारोबार पर है। कर योग्य

कुल कारोबार से अनुमेय कटौती करने के बाद कारोबार किया जाता है। इनमें "छूट के रूप में अनुमत सभी राशि" शामिल हैं। इस तरह की

हालाँकि, छूट विक्रेता की नियमित व्यापार प्रथा या किसी विशेष मामले में किए गए अनुबंध या समझौते के अनुसार होनी चाहिए। "इस तरह की छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में जारी कर चालान या बिक्री का बिल ऐसी छूट की अनुमत राशि को दर्शाता है" अभिव्यक्ति को खुशी से नहीं लिखा गया है। "इस तरह की छूट से संबंधित बिक्री के संबंध में" शब्दों का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि छूट कटौती के रूप में तब तक स्वीकार्य नहीं होगी जब तक कि माल से संबंधित कर चालान न हो।

मूल रूप से जारी किया गया छूट दिखाता है। यह तय करने की बात है। निर्धारिती को अपने खातों से यह स्थापित करना चाहिए कि छूट विशेष रूप से उस बिक्री से संबंधित है जिसके संदर्भ में इसकी अनुमति है। सबसे पहले

परंतुक का हिस्सा, नियम 3 (2) (सी) व्यापार अभ्यास या, जैसा भी मामला हो, व्यापारी के संपर्क या समझौते को मान्यता देता है। बाद वाला भाग जो निर्धारण के लिए एक कार्यप्रणाली प्रदान करता है, ओवरराइड नहीं करता है पूर्व भाग। दोनों को एक साथ समझना होगा। सबसे बढ़कर, यह याद रखना चाहिए कि कर योग्य कारोबार कटौती का शुद्ध कारोबार है। सभी व्यापार छूट अनुमेय कटौती के रूप में स्वीकार्य हैं।

13. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। हम निर्देश देते हैं कि कर योग्य कारोबार की गणना में

प्रासंगिक वर्षों में, अपीलार्थी सदर्न मोटर्स (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 40 में निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए और जैसा कि ऊपर समझाया गया है, व्यापार छूट की कटौती का हकदार होगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान